भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1999

06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष अस्पताल और क्लीनिक

1999. श्री बलभद्र माझी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुष अस्पतालों और औषधालयों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश के प्रत्येक ब्लॉक में आयुष अस्पताल और औषधालय खोलने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आयुष की उन शाखाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनमें डॉक्टरों का नियमित कैडर है; और
(घ) जिन शाखाओं में नियमित कैडर नहीं है, उनके लिए पदोन्नति के अवसरों सहित नियमित कैडर सृजित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): देश में आयुष अस्पतालों और चिकित्सालयों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः **संलग्नक-I** और **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश के प्रत्येक ब्लॉक में आयुष अस्पताल और चिकित्सालय खोलना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। हालांकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना का प्रावधान है और राज्य सरकारें एनएएम दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय में चिकित्सकों/चिकित्सा अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों के नियमित कैडर वाली आयुष की शाखाओं की संख्या और संबंधित प्रोन्नति के अवसरों का ब्यौरा **संलग्नक-III** पर दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

दिनांक 01.04.2023 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आयुष अस्पतालों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	योगा	प्राकृतिक चिकित्सा	होम्योपैथी	सोवा-रिग्पा	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र									
1	आंध्र प्रदेश	3	2	0	0	0	3	0	**8**
2	अरुणाचल प्रदेश	10	0	0	0	0	1	0	**11**
3	असम	1	0	0	0	0	1	0	**2**
4	बिहार	5	1	0	0	0	2	0	**8**

5	छत्तीसगढ़	11	1	0	1	0	3	0	**16**
6	दिल्ली	2	2	0	0	0	2	0	**6**
7	गोवा	1	0	0	0	0	1	0	**2**
8	गुजरात	39	0	0	0	0	1	0	**40**
9	हरियाणा	15	1	0	0	0	1	0	**17**
10	हिमाचल प्रदेश	34	0	0	0	1	0	0	**35**
11	जम्मू-कश्मीर	4	6	0	0	0	0	0	**10**
12	झारखंड	0	0	0	0	0	1	0	**1**
13	कर्नाटक	195	25	0	0	18	36	0	**274**
14	केरल	129	0	1	0	1	34	0	**165**
15	मध्य प्रदेश	41	4	0	0	6	26	0	**77**
16	महाराष्ट्र	91	7	0	0	0	62	0	**160**
17	मणिपुर	6	5	0	5	0	9	0	**25**
18	मेघालय	4	0	0	0	0	8	0	**12**
19	मिजोरम	2	0	0	0	0	8	0	**10**
20	नगालैंड	2	0	0	2	0	2	0	**6**
21	ओडिशा	5	0	0	0	0	4	0	**9**
22	पंजाब	21	1	0	0	0	3	0	**25**
23	राजस्थान	119	11	0	1	2	6	0	**139**
24	सिक्किम	2	0	0	1	0	2	1	**6**
25	तमिलनाडु	2	1	289	2	0	1	0	**295**
26	त्रिपुरा	3	0	0	1	0	3	0	**7**
27	उत्तर प्रदेश	1788	183	0	0	0	11	0	**1982**
28	उत्तराखंड	430	3	0	0	0	0	0	**433**
29	पश्चिमी बंगाल	6	1	0	0	0	12	1	**20**
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1	0	0	1	0	1	0	**3**
31	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	1	0	**2**
32	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	2	0	0	0	0	2	0	**4**
33	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	**0**
34	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	1	0	**2**
35	पुडुचेरी	3	0	2	0	0	1	0	**6**
36	तेलंगाना	4	3	0	0	1	3	0	**11**
कुल (क)		**2983**	**257**	**292**	**14**	**29**	**252**	**2**	**3829**
ख. सीजीएचएस और केंद्रीय सरकारी संगठन		22	10	6	1	5	9	3	**56**
कुल (क+ख)		**3005**	**267**	**298**	**15**	**34**	**261**	**5**	**3885**

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एवं संबंधित एजेंसियां।

दिनांक 01.04.2023 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आयुष औषधालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	योग	प्राकृतिक चिकित्सा	होम्योपैथी	सोवा-रिग्पा	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	आंध्र प्रदेश	373	92	0	0	25	245	0	**735**
2	अरुणाचल प्रदेश	38	1	0	0	0	133	2	**174**
3	असम	505	0	0	0	0	68	0	**573**
4	बिहार	799	333	0	0	0	458	0	**1590**
5	छत्तीसगढ़	956	26	0	0	0	112	0	**1094**
6	दिल्ली	55	25	0	0	0	117	0	**197**
7	गोवा	140	0	0	0	0	67	0	**207**
8	गुजरात	579	0	0	0	0	273	0	**852**
9	हरियाणा	625	23	0	18	0	164	0	**830**
10	हिमाचल प्रदेश	1185	3	0	0	0	14	4	**1206**
11	जम्मू-कश्मीर	311	267	0	0	0	16	0	**594**
12	झारखंड	362	147	0	0	0	272	0	**781**
13	कर्नाटक	7432	89	1	0	22	97	0	**7641**
14	केरल	1041	16	34	0	1	1078	0	**2170**
15	मध्य प्रदेश	1496	64	0	0	0	213	0	**1773**
16	महाराष्ट्र	462	24	0	0	0	0	0	**486**
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	1	0	**1**
18	मेघालय	39	0	0	2	0	54	0	**95**
19	मिजोरम	1	0	0	0	0	20	0	**21**
20	नागालैंड	10	0	0	2	0	34	0	**46**
21	ओडिशा	620	9	0	0	0	562	0	**1191**
22	पंजाब	672	34	0	1	0	225	0	**932**
23	राजस्थान	3664	341	0	0	3	329	0	**4337**
24	सिक्किम	2	0	0	0	0	10	1	**13**
25	तमिलनाडु	101	65	790	174	0	108	0	**1238**
26	त्रिपुरा	35	0	0	0	0	66	0	**101**
27	उत्तर प्रदेश	2112	73	0	0	0	1576	0	**3761**
28	उत्तराखंड	412	2	0	0	0	148	0	**562**
29	पश्चिमी बंगाल	545	6	0	12	0	2105	0	**2668**
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	13	0	0	6	0	18	0	**37**
31	चंडीगढ़	12	2	0	0	0	16	0	**30**
32	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	10	0	0	0	0	10	0	**20**
33	लद्दाख	3	8	0	0	0	2	35	**48**
34	लक्षद्वीप	9	0	0	0	0	9	0	**18**
35	पुडुचेरी	30	0	28	4	0	18	0	**80**
36	तेलंगाना	423	184	0	0	28	199	0	**834**
	कुल (क)	**25072**	**1834**	**853**	**219**	**79**	**8837**	**42**	**36936**

ख. सीजीएचएस और केंद्रीय सरकारी संगठन	354	40	65	94	15	289	11	**868**
कुल (क+ख)	**25426**	**1874**	**918**	**313**	**94**	**9126**	**53**	**37804**

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एवं संबंधित एजेंसियां।

संलग्नक-III

आयुष मंत्रालय में चिकित्सकों/चिकित्सा अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों के नियमित कैडर वाली आयुष शाखाओं और संबंधित पदोन्नति के अवसर का विवरण निम्नानुसार हैं -

क्र.सं.	आयुष शाखा	पदोन्नति के अवसर
1.	आयुर्वेद	आयुष मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.06.2018 की अधिसूचना के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 10 में सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती किए गए चिकित्सा अधिकारियों को डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन (डीएसीपी) योजना के तहत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसएजी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। इसके अलावा, कार्यात्मक उद्देश्यों
2.	यूनानी	
3.	सिद्ध	

4.	**होम्योपैथी**	के लिए, आयुष मंत्रालय में तैनात होने पर चिकित्सक को संबंधित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार अनुसंधान अधिकारी, सहायक सलाहकार, उप सलाहकार, संयुक्त सलाहकार और सलाहकार के रूप में नामित किया जाता है।
5.	**योग**	आयुष मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.10.2021 की अधिसूचना के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती किए गए अनुसंधान अधिकारी (योग) और अनुसंधान अधिकारी (प्राकृतिक चिकित्सा) को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में उप सलाहकार (योग और प्राकृतिक चिकित्सा) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। इसके बाद, मंत्रालय द्वारा सृजित अगला प्रोन्नत पद लेवल-13 में संयुक्त सलाहकार (योग) है।
6.	**प्राकृतिक चिकित्सा**	